नम्बर व तारी
अहकाम जो इस
हुक्म की तामी
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)

(पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 117/2018

दायर दिनांक 26/07/2018

निर्णय दिनांक 31/12/2020

अनवान

1. रामकरण पिता प्रताप गुर्जर निवासी नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।

.... वादी

बनाम

1. मथुरा , रसाली , सीता , सोन्या पिता ओनाड ना.बा.वि. माता नानू बेवा ओनाड गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. मृतक नानू बेवा ओनाड गुजर जरिये वारिसान
   2/1. मथुरा पिता ओनाड गुर्जर निवासी नोला का खेडा हाल मुकाम मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा राज0
   2/2 रसारी पिता ओनाड गुर्जर निवासी नोला का खेडा हाल मुकाम झांतल तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
   2/3 सीता पिता ओनाड गुर्जर निवासी नोला का खेडा हाल मुकाम मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा राज0
   2/4 सोन्या पिता ओनाड गुर्जर निवासी नोला का खेडा हाल मुकाम धांगडा का खेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा राज0
3. कुन्दन पिता सांवता गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
4. हगामा पिता सांवता गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
5. महादेव पिता सबला गुजर गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. प्रभु पिता सबला गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
7. मिश्रीलाल पिता हिन्दु गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
8. भीया पिता भेरूबक्ष गुजर जरिये वारिसान
   8/1. देवकिशन पिता भीया गुर्जर निवासी नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. चांदी पिता भेरूबक्ष गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
10. सोहनी पिता भैरूबक्ष गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा राज..

वादपत्र बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार एंव बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,92 क राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – श्री मुरारी जोशी वकील वादी
विपक्षी संख्या 11 पेरोकार सरकार

1. वादी की और से जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा खातेदारी अधिकार एंव बंटवाडा एंव स्थायी निषेधाज्ञा के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम नोला का खेडा पटवार क्षेत्र उपरेडा भु–अभिलेख क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 192 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है । जिसके साबिक आराजी नम्बर 60 है ।

2. यह कि उक्त आराजी नम्बर 192 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा के साबिक आराजी नम्बर जो कि सम्वत् 2024–2027 की जमाबन्दी मे सबला पिता संग्राम , भैरूबक्ष , गंभीरा पिता नारू व वादी प्रताप पिता दुर्गा का नाम दर्ज रेकार्ड था । जिसमे वादी का उक्त आराजी मे 1/3 हिस्सा निहित है उसी पर वादी द्वारा काश्त करता आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारी की गलति से वादी का नाम छुट गया है जो दोषयुक्त इन्द्राज आज दिनांक तक अनवरत जारी होकर वर्तमान में भी विवादित आराजियात में वादी का नाम दर्ज नहीं है । अतः राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करा विवादित आराजियात मे प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के साथ–साथ वादी को भी 1/3 हिस्सा खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी है । तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 पारित फरमावे ।

3. वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 26.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन /नोटिस मामले मे वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 02 व 09 की मृत्यु होने से वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया जो स्वीकार कर संसोधित अनवान वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर जरिये सम्मन/नोटिस मामले मे वजह जाहिर करने हेतु तलब किया नियत सुनाई पर अनुपस्थित रहने व विहित समयावधी में जवाबदावा प्रस्तुतीकरण में असमर्थ रहने से प्रतिवादी गण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली को एक तरफा साक्ष्य वादी चरण हेतू नियत किया गया । वादी की शहादत मे वादी की और से प्रस्तुत गवाह स्वय वादी के शपथपत्र पर पी. डबल्यू –1 का अंकन किया गया एंव संलग्न जमाबन्दी की नकले , नामान्तरकरण की नकल जो प्रकरण मे क्रमश प्रदर्श 1 से 5 तक है । वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एक पक्षीय सुनी गई तत्पश्चात् बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित कलमो को दाहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करा विवादित आराजियात के राजस्व अभिलेखो में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । एंव उक्त वादपत्र मे वादी अधिवक्ता द्वारा बंटवारा नही चाहने का प्रार्थनापत्र भी पेश किया जो स्वीकार किया गया एंव उक्त विवादीत आराजियात मे वादी को 1/3 हिस्से का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 सादर फरमाई जावे । इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 पारित फरमाई जावे ।

उपखण्ड अधिकारी

अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद में प्रस्तुत शपथपत्र एंव वादपत्र में समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व आधार राजस्व अभिलेख का अध्ययन परिक्षण करने के पश्चात् वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के स्वीकार किये जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 10 इस प्रकार स्वीकार की जाता है कि ग्राम नोला का खेडा पटवार क्षेत्र उपरेडा भु–अभिलेख क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 192 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करा विवादित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है इसके साथ ही वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षी गण को पाबन्द किया जाता है तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा तरतीब किया जावे । अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो । निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाड़ा)

दिव्यांशु शर्मा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)

(पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

(आदेश 20 व नियम 06 व 07 जा.दी.)

प्रकरण संख्या 117 / 2018

दायर दिनांक 26 / 07 / 2018

निर्णय दिनांक 31 / 12 / 2020

अनवान

1. रामकरण पिता प्रताप गुर्जर निवासी नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।

.... वादी

बनाम

1. मथुरा , रसाली , सीता , सोन्या पिता ओनाड ना.बा.ववि. माता नानू बेवा ओनाड गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

2. मृतक नानू बेवा ओनाड गुजर जरिये वारिसान
   - 2/1. मथुरा पिता ओनाड गुर्जर निवासी नोला का खेडा हाल मुकाम मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा राज0
   - 2/2 रसारी पिता ओनाड गुर्जर निवासी नोला का खेडा हाल मुकाम झांतल तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
   - 2/3 सीता पिता ओनाड गुर्जर निवासी नोला का खेडा हाल मुकाम मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा राज0
   - 2/4 सोन्या पिता ओनाड गुर्जर निवासी नोला का खेडा हाल मुकाम धांगडा का खेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा राज0

3. कुन्दन पिता सांवता गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

4. हगामा पिता सांवता गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

5. महादेव पिता सबला गुजर गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

6. प्रभु पिता सबला गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

7. मिश्रीलाल पिता हिन्दु गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

8. भीया पिता भेरूबक्ष गुजर जरिये वारिसान
   - 8/1. देवकिशन पिता भीया गुर्जर निवासी नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

9. चांदी पिता भेरूबक्ष गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

10. सोहनी पिता भैरूबक्ष गुजर उम्र वयस्क निवासी – नोला का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा राज.

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार एंव बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,92 क राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – श्री मुरारी जोशी वकील वादी
विपक्षी संख्या 11 पेरोकार सरकार

वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 10 इस प्रकार स्वीकार की जाता है कि ग्राम नोला का खेडा पटवार क्षेत्र उपरेडा भु–अभिलेख क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 192 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करा विवादित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है इसके साथ ही वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षी गण को पाबन्द किया जाता है । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)
दिवांशु शर्मा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा

यह डिक्री आज दिनांक 31.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुहर से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)
दिवांशु शर्मा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा